सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 248 राँची, गुरुवार

3 वैशाख, 1937 (श०)

23 अप्रैल, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

20 अप्रैल, 2015

कृपया पढ़े:-

1. उपायुक्त, गिरिडीह का पत्रांक-548/गो0, दिनांक 18 मार्च, 2013, पत्रांक-1657/गो0, दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 एवं पत्रांक-848/गो0, दिनांक 30 जून, 2014
1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-3707, दिनांक 03 मई, 2013 एवं पत्रांक-5438, दिनांक 21 जून, 201

संख्या- 5/आरोप-1-426/2014 का०-3571-- श्री मनौवर आलम, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-794/03) के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बगोदर, गिरिडीह के पद पर कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-548/गो0, दिनांक 18 मार्च, 2013 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप प्रतिवेदित हैं। प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैं:-

1. बगोदर प्रखण्ड अन्तर्गत पुरनीडीह ग्राम में दीनदयाल आवास योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता बरतने तथा सुरेश भुईंया के नाम से फर्जी निकासी किये जाने संबंधी श्री विनोद कुमार सिंह, मा0 सदस्य, झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त पत्र दिनांक 12 अप्रैल, 2007 की जाँच तत्कालीन उपायुक्त, गिरिडीह के द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, गिरिडीह से करायी गयी। उनके द्वारा समर्पित जाँच

प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 की योजना पंजी में संबंधित सभी अभिलेख दर्ज है। वर्ष 2005-06 में कुल 264 योजना अभिलेख का उल्लेख पंजी में है, किन्तु इस पंजी में श्री सुरेश भईंया से संबंधित अभिलेख का उल्लेखन नहीं है। स्पष्ट है कि श्री मनौवर आलम द्वारा अभिलेख अनियमित ढंग से खोला गया ।

2. जिला परिवहन पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री सुरेश भुईंया से संबंधित उपलब्ध कराया गया उस अभिलेख में योजना संख्या को काट कर अपठनीय बना दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि श्री सुरेश भुईंया के नाम कोई अभिलेख नियमानुसार खोला ही नहीं गया तथा अभिलेख फर्जी है ।

3. दीनदयाल आवास योजना का कार्यान्वयन आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या- 359, दिनांक 14 जुलाई, 2005 द्वारा निर्धारित प्रावधान की कंडिका संख्या-7 के आलोक में किया जाता है। उक्त कंडिका में उल्लेखित है कि इस योजना के अन्तर्गत आवासों का निर्माण इंदिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप ही होगा एवं इसके लिए स्वतंत्र अभिलेख खोला जायेगा, लेकिन श्री आलम द्वारा नियमों की अवहेलना की गयी।

विभागीय पत्रांक-3707, दिनांक 03 मई, 2013 एवं अनुवर्ती स्मार पत्रांक-5438, दिनांक 21 जून, 201 द्वारा श्री आलम से उक्त आरोपों पर स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री आलम के पत्रांक-415/आ0, दिनांक 27 जून, 2013 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-1657/गो0, दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 एवं पत्रांक-848/गो0, दिनांक 30 जून, 2014 द्वारा श्री आलम के स्पष्टीकरण पर मंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया है ।

श्री आलम के विरूद्ध प्राप्त आरोप, इनके स्पष्टीकरण तथा उपायुक्त, गिरिडीह के मंतव्य प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया है कि विषयगत मामला योजना क्रियान्वयन में मात्र प्रक्रियात्मक भूल का है। अतः श्री आलम को भविष्य के लिए सचेत करते हुए आरोपों को संचिकास्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रमोद कुमार तिवारी,
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 248—50 ।